प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिये इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत राजस्व क्षेत्र के अधीन आने वाले प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्ययों पर की गयी लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं जो 2015–16 की अवधि के लिये किये गये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये, परन्तु जिन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; 2015–16 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्त भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।